रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 2012/फाल्गुन 25, 1933
No. 391] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 2012/PHALGUNA 25, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2012

का.आ. 436(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के उप-नियम (1) के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उप-धारा (3) और धारा 110 की उप-धारा (1) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1365(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2004 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (iii) में प्रकाशित की गई थी की अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना की सारणी में,—

(i) क्रम संख्यांक 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"2.	हाइड्रोलिक ब्रेक होज जब कभी मोटर यानों में उपयोग किया जाए	समय-समय पर यथा संशोधित आईएस: 7079-2008	1 अक्तूबर, 2013"

(ii) क्रम संख्यांक 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"18.	मोटर यानों जिनके अंतर्गत कृषि ट्रैक्टर और संनिर्माण उपस्कर यान भी हैं पर 'टैलटेल और प्रदर्शक नियंत्रण पहचान' और 'नियंत्रक अवस्थित और प्रचालन अपेक्षाएं'	समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस : 071-2009 (भाग-1 और भाग 2)	कृषि ट्रैक्टरों से भिन्न सभी यानों के लिए जिसके अंतर्गत संनिर्माण उपस्कर यान भी हैं **विद्यमान प्रतिमान :** अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष **नए प्रतिमान :** अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष। कृषि ट्रैक्टर के लिए **इंजन क्षमता 37 किलोवाट से कम :** 1

			अप्रैल, 2013 इंजन क्षमता 37 किलोवाट या उससे अधिक: 1 अप्रैल, 2014 ”

(iii) क्रम संख्यांक 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(iv) क्रम संख्यांक 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

“20.	कृषि ट्रैक्टरों और विशेष प्रयोजन यानों को छोड़कर तीन से अधिक मोटर यानों, ट्रेलर और अर्द्ध ट्रेलर, सिवाय निम्नलिखित के अधीन रहते हुए प्रकाश और प्रकाश संकेतक युक्तियों के लिए स्थापन अपेक्षाएं	समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस: 008 (पुनरीक्षित-1)-2010	1 अक्तूबर, 2012
	(i) प्रकाश और प्रकाश संकेतक युक्तियों की कार्य संपादन अपेक्षाएं	समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस: 012- (2004)	1 अक्तूबर, 2005
	(ii) मोड़ संकेतक निर्देशकों के स्वतः निरस्तीकरण की अपेक्षाओं के सिवाय संनिर्माण उपस्कर यानों के प्रकाश, प्रकाश संकेतकों और दिशा निर्देशक प्रणाली के कार्य संपादन अपेक्षाएं	सुरक्षा मानक संख्यांक 15.1	13 दिसंबर, 2004

(v) क्रम संख्यांक 21 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"21(i)	सभी मोटर यानों से विद्युत चुम्बकीय विकिरण (1) एआईएस-004-1999 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाले मोटर यान एआईएस-004 (भाग-1)-1999 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाले समझे जाएंगे । (2) विद्युत चुम्बकीय विकिरण या विद्युत चुम्बकीय सघनता के लिए एआईएस-004 (भाग-3)-2009 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वाले मोटर यान एआईएस-004 (भाग-1)-1999 की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले समझे जाएंगे ।	एआईएस: 004 (भाग-1)-1999	इस अधिसूचना की तारीख से 21 (ii) के प्रवृत्त होने की तारीख तक मान्य होंगे"
21. (ii)	स्तंभ 4 में वर्णित की तारीख से ही विनिर्मित मोटर यानों की विद्युत चुम्बकीय सघनता	एआईएस: 004 (भाग-3)-2003	एल प्रवर्ग यान : 1 अक्तूबर, 2013 (नए प्रतिमान) 1 अक्तूबर, 2015 (विद्यमान प्रतिमान) एम और एन प्रवर्ग के मोटर यान भारत प्रक्रम iv के लिए व्यापक उत्सर्जन का अनुपालन करेंगे: 1 अक्तूबर, 2015

(vi) क्रम संख्यांक 46 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“47.	मानकों में विनिर्दिष्ट हाईब्रिड विद्युत यानों के अनुमोदित प्रकाश	समय समय पर यथा संशोधित एआईएस: 109 (भाग-1)-2009 और एआईएस: 109 (भाग-2)-2010	1 अक्तूबर, 2012
48.	दो पहिया मोटर यानों के लिए फुहार निषेध प्रणाली	समय समय पर यथा संशोधित एआईएस: 103 -2009	नए प्रतिमान-1 अक्तूबर, 2012 विद्यमान प्रतिमान -1 अक्तूबर, 2013
49.	बैटरी चालित यानों के उपयोग के लिए कर्षण बैटरियां ।	समय समय पर यथा संशोधित एआईएस: 048(भाग-1)-2009	1अक्तूबर, 2013”

[फा. सं. आरटी-11011/13/2001-एमवीएल (वाल्यूम III)]

नितिन र. गोकर्ण, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र का.आ. 1365(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती सं. का.आ. 1431(अ), तारीख 20 अगस्त, 2007 और सं. का.आ. 2714(अ), तारीख 4 नवम्बर, 2010 द्वारा संशोधन किए गए ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2012

S.O. 436(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 and clause (k) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988),read with sub-rule (1) of rule 124 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O.1365(E) dated the 13th December, 2004, published in Part-II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, namely:-

(2) In the said notification, in the Table,-

(i) for serial number 2 and entries thereto, the following shall be substituted, namely:-

"2.	Hydraulic brake hose wherever used in motor vehicles	IS:7079 – 2008 as amended from time to time	1st October, 2013."

(ii) for serial number 18 and entries thereto, the following shall be substituted, namely:-

"18.	'Identification of Controls, Tell-Tales and Indicators' and 'Control Location and Operation requirements' on motor vehicles including agriculture tractors and construction equipment vehicles	AIS-071-2009 (Part-1 & Part-2), as amended from time to time	For all vehicles, including construction equipment vehicles, other than agriculture tractors **Existing models :** Two years from the date of notification **New models :** One year from the date of notification. For agriculture tractor **Engine capacity below 37 kW :** 1st April, 2013 **Engine capacity 37 kW or above :** 1st April 2014."

840GI/12-2

(iii) serial number 19 and entries thereto shall be omitted.

(iv) for serial number 20 and entries thereto, the following shall be substituted, namely:-

"20.	Installation requirement for lighting and light-signaling devices for motor vehicles having more than three wheels, trailers and semi-trailers excluding agricultural tractors and special purpose vehicles, subject to the following;	AIS-008 (Rev. 1)-2010, as amended from time to time.	1st October, 2012.
	(i) Performance requirement of the lighting and light-signaling devices	AIS-012 (2004), as amended from time to time	1st October, 2005.
	(ii) Performance requirement of lighting, light signaling and direction indicator systems of construction equipment vehicles except the requirement of self-cancellation of turn signal indication **Exception:** Compliance of Safety Standard No. 15.1 shall not be applicable to agricultural tractor and other special purpose motor vehicles.	Safety Standard No. 15.1	13th December, 2004."

(v) for serial number 21 and entries thereto, the following shall be substituted, namely:-

"21(i).	Electromagnetic radiation from all motor vehicles (1) Motor vehicle complying with the requirements of AIS-004-1999 shall deem to comply with the requirements of AIS-004 (Part 1)-1999. (2) Motor vehicles complying with the requirements of AIS 004 (Part 3)- 2009 for Electromagnetic radiation or Electromagnetic compatibility shall be deemed to meet the requirements of AIS 004 (Part 1) – 1999	AIS-004 (Part 1)-1999	Date of publication of this notification and valid up to dates of implementation of 21(ii)."

21(ii)	Electromagnetic compatibility of motor vehicles manufactured on and from dates mentioned in column 4.	AIS-004 (Part 3)-2009	L Category Vehicles : 1st October 2013 (new models) 1st October 2015 (existing models) Motor vehicles of M and N category complying with Mass Emission standards for Bharat Stage IV: 1st October 2015

(vi) after serial number 46 and the entries thereto, the following shall be inserted, namely:-

"47.	The type approval of hybrid electric vehicles specified in the standard.	AIS-102 (Part 1) - 2009 and AIS 102 (Part2)-2010, as amended from time to time.	1st October 2012
48.	Spray Suppression system for two wheeled motor vehicles.	AIS:103-2009 for the vehicles specified therein	New models – 1st October, 2012. Existing models – 1st October, 2013.
49.	Traction batteries used in battery operated vehicles	AIS-048- 2009, As amended from time to time.	1st October, 2013."

[F. No. RT-11011/13/2001-MVL (Vol. III)]

NITIN R. GOKARN, Jt. Secy.

Foot Note.—The Principal notification was published in the Gazette of India *vide* number S.O. 1365(E), dated the 13th December, 2004 and subsequently amended *vide* number S.O. 1431(E), dated the 20th August, 2007 and number S.O. 2714(E), dated the 4th November, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.